

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- प्रभाती लाल जाट आर.ए.एस.

अपील सं. 12/2018

अनवान:-

मंहगा सिंह पुत्र हरनाम जाति बावरी सा.मल्लड़खेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 9.3.18 बअदालत तहसीलदार टिब्बी।

- उपस्थित:- 1 श्री राजेशदीप राय अभिभाषक अपीलांत।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।



निर्णय:-

दिनांक: -17.09..2018

अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट दी कि रेस्पोंडेंट सं0 2 ने चक 8 एमकेएस के प0नं0 189/221,190/221 कि0नं0 3 ता 11,13,14,15,16 ता18, 20 कुल 3.326 है0 सरकारी भूमि पर फसल रबी में सरसों काशत कर अतिक्रमण करने के कथन किये। रेस्पोंडेंट सं0 1 ने उक्त प्रकरण दर्ज कर धारा 22 के नोटिस जारी किये व भू अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर नीलाम करने हेतु लिखा। अपीलांत ने उक्त प्रकरण में हाजिर होकर यह कथन किए कि उपरोक्त भूमि अपीलांत के आधिपत्य व धारण में है तथा यह भी कथन किया कि उपरोक्त आराजी के संबंध में उपखण्डाधिकारी टिब्बी के समक्ष अपीलांत ने कार्यवाही की हुई है तथा यह निवेदन किया कि अपीलांत के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही ड्राप की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9.3.18 को उपरोक्त भूमि में खड़ी फसल को कुर्क करने व नीलाम करने के आदेश पारित किए। यह भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज थी। जो दिनांक 16.11.09 को राज्य सरकार सिवाय चक दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि पर पुराने समयसे अपीलांत का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांत उक्त आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा है-

क- कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है।

ख- कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण होना मानकर आक्षेपित आदेश

नहीं इस संबंध में मा. न्यायालय उपखण्डाधिकारी को निर्णय पारित करना है। अपीलांट सदमावी है। अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि की खातेदारी लेने हेतु नियमानुसार जरिये चालान राशि जमा करवा दी है। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट का कब्जा बतौर अतिक्रमी नहीं है। लेकिन रेस्पों 1 ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

ग-कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य हेतु कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। रेस्पों 1 ने अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अहम भूल की है।

अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 09.3.18 को अपास्त करने का निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों की तलबी व रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर सलंगन पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का पुराना कब्जा है व इसकी खातेदारी करवाने बाबत प्रकरण उपखण्डाधिकारी टिब्बी में विचाराधीन है। साथ ही यह भी कथन किया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में स्थगन हेतु प्रा०पत्र 212 आरटीए उपखण्डाधिकारी टिब्बी में प्रस्तुत किया जो दिनांक 3.4.18 को निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील मा. राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में पेश की गयी जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 9.4.18 के आदेश से वर्णित आराजी की आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। आगामी पेशी 3.10.18 तक स्थगन प्रभावी है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में जो रिकार्ड की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं वह वर्ष 1993 तक की है उसके बाद आदिनांक तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई इस बाबत कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज है। रकबा राज पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह उचित है। इसलिए अपीलन अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर काशत करना विधि अनुसार उचित नहीं है। यहां तक प्रकरण उपखण्डाधिकारी टिब्बी में विचाराधीन होने का प्रश्न है उसके संबंध में वर्तमान में प्रकरण विचाराधीन होने बाबत कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है जो रिकार्ड अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह वर्ष 1993 तत्समय पुनर्वास विभाग का प्रस्तुत किया गया है। जहां तक न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.4.18 का प्रश्न है

बनाम तहसीलदार में वर्णित आराजी की आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखने बाबत है चूंकि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है । ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर साधिकार कब्जा है। यह नाजायज कब्जा की श्रेणी में आता है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 09.03.18 यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रभाती लाल जाट)

आर.ए.एस.

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official